फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

उमाराम

बनाम

लूम्बाराम वगैरह

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नं. 56 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2020	मुख्यालय बाड़मेर का पद रिक्त होने से अपील पत्रावली प्रथम लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष बाद जांच होकर पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप.। अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 19/2018 उनवान उमाराम बनाम लूंबाराम में पारित आदेश दिनांक 05.05.2018 के विरुद्ध पेश हुई। मियाद के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पर सुनवाई हेतु पत्रावली मुख्यालय जोधपुर पर दिनांक 28.10.2020 को पेश हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	
28.10.2020	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप.। अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या 01 लूंबाराम का गोद पुत्र है। रेस्पोडेंट द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर दिया गया। रेस्पोडेंट अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलाधीन आराजी का किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान/हस्तांतरण करने पर उतारू है जबकि उसको अपने हक हिस्से से अधिक भूमि के बेचान/हस्तांतरण का कोई हक अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र को स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पर एकतरफा बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रेस्पोडेंट अपीलाधीन आदेश की आड़ में लगातार अपीलाधीन आराजी का अजनबी व्यक्तियों को बेचान/हस्तांतरण रहा है जिससे अपीलांट के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। अपीलांट उमाराम रेस्पोडेंट संख्या 01 का रजिस्ट्रर्ड गोदनामा से गोद पुत्र है। अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि है। अपीलांट उमाराम रेस्पोडेंट संख्या 01 के दत्तक हो जाने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 06 अनुसार इस पैतृक आराजी में गोद जाने की तारीख को वादी भी अपने गोद पिता के साथ सहदायिक हो गया तथा इसमें अपने गोद पिता के बराबर हक-हकूक सृजित हो गये। अपीलांट आराजी में गोद जाने की तारीख से हिस्सा 1/2 का सह खातेदार है। इसलिए मामला पृथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र आराजी तौर पर स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि रेस्पोडेंटस आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.11.2020 तक रेस्पोडेंटस संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम साईयों का तला के खसरा संख्या 21 रकबा 3.1632 हैक्टर में से जोगाराम पुत्र कुंभाराम व रुघाराम पुत्र रेखाराम को किये गये बेचानों का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया जावे तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 खसरा संख्या 301/21 में शेष रकबे का और बेचान/हस्तांतरण नहीं करे। तहरीर जारी हो। आदेश 39 की पालना में रेस्पोडेंट्स के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु प्रार्थी के अधिवक्ता को दस्ती जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर पत्रावली दिनांक 25.11.2020 को मुख्यालय बाड़मेर पेश हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	सम्मन [illegible] 766 / 29/10/2020 मिसल बाबत 817 / 5/11/20

25/11/20 मकौल पार्टी/अपराधी उप./आडमेर मुख्यालय का पद रिक्त है। प्रथम लिंक अधिकारी जोधपुर विराजने से मुल्तवी होकर दिनांक 4/01/21 को पेश हो।

6/1/21 मकौल पार्टी/अपराधी उप./आडमेर मुख्यालय ... रिक्त है। प्रथम लिंक अधिकारी जोधपुर विराजने से मुल्तवी होकर दिनांक 9/2/21 को पेश हो।

9/2/21 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप.। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर विराजते हैं पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 24/03/2021 को पेश हो।

पुनश्च:

इतना लिखने के पश्चात अधिवक्ता श्री सोमनाथ डाबी ने उप. होकर रेस्पो. संख्या 1 की तरफ से वकालतनामा पेश किया शामिल मिसल हो।

24/03/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। अधिवक्ता अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि रेस्पो. संख्या 2 से 3 के नाम रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें। पेश होने पर जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आन्त पुनः तलब कर पत्रावली दिनांक 26/04/2021 को पेश हो। पूर्व पारित स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक प्रभावी रहेगा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील संख्या - 46/2020 उनवान = उमाराम बनाम तुम्बाराम	
08/06/2021	नियत दिनांक को लॉकडाउन होने से पत्रावली अधिवक्ता अपीलांट के निवेदन पर आज पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उप.। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूलवाद का निस्तारण कर दिया गया है जिससे स्थगन की अपील चलाने का औचित्य नहीं रहता है अतः अपील पत्रावली को फैसल फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट को पत्रावली पर सुनने एवं मूलवाद निर्णित होने से अपील पत्रावली सारहीन हो गई है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय हाजा द्वारा हस्तगत पत्रावली में पारित स्थगन आदेश दिनांक 28/10/2020 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज इजलास सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	Adv.

राजस्व अपील ... बाड़मेर